

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चौहटन जिला बाड़मेर

राजस्व आवेदन सं. 1307/2015 अन्तर्गत धारा 111,128 एल.आर.एक्ट

दानाराम वगैरा बनाम कला वगैरा

पीठासीन अधिकारी - श्री भागीरथराम, आर.ए.एस

प्रार्थीगण वकील :- श्री शाकर खान

विप्रार्थीगण वकील :-

निर्णय


दिनांक - 29.06.17

पत्रावली आज राजस्व लोक अदालत -2017 कैम्प बीजासर मे पेश हुई। प्रार्थीगण वकील उपस्थित। विप्रार्थीगण के नोटिस तामिल सुदा प्राप्त है। जिन्हे शामिल पत्रावली किया गया। प्रस्तुत प्रकरण में संक्षिप्त मे तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र मे कथन किया है कि प्रार्थीगण की खातेदारी का खेत मौजा इब्रे का तला, पटवारी हल्का मीठे का तला, तहसील सेड़वा के खेत खसरा सं. 537 रकबा 95.14 बीघा स्थित है। प्रार्थीगण के खेत पास विप्रार्थीगण उक्त खातेदारी भूमि के पडोसी है। जिनके खेत प्रार्थीगण के खेत के पडोस में स्थित होने के कारण बरसात के समय वक्त काशत अक्सर विप्रार्थीगण सेढो को लेकर विवाद करते रहते है। प्रार्थीगण एवं विप्रार्थीगण के मध्य सीमा को लेकर विवाद बना रहता है। इस कारण प्रार्थीगण अपनी खातेदारी भूमि का सीमाज्ञान करवाकर पत्थरगड्डी पेमाईश एवं नेखमबन्दी करवाना चाहता है। प्रार्थीगण ने पेमाईश एवं नेखमबन्दी करने का निवेदन किया है। प्रार्थीगण की दरखास्त दर्ज कर विप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। प्रार्थीगण के वक्त काशत प्रार्थीगण व विप्रार्थीगण के मध्य सीमाओं को लेकर विवाद बना रहता है, इस कारण प्रार्थीगण अपनी खातेदारी भूमि की पेमाईश एवं नेखमबन्दी करवाना चाहते है। प्रार्थीगण विवादित भूमि के खातेदार काशतकार राजस्व रेकार्ड मे दर्ज होने के कारण प्रार्थीगण की दरखास्त स्वीकार किया जाना न्यायसंगत प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थीगण की दरखास्त स्वीकार की जाकर विवादित भूमि सरहद मौजा इब्रे का तला, पटवारी हल्का मीठे का तला, तहसील सेड़वा के खेत खसरा सं. 537 रकबा 95.14 बीघा की पेमाईश एवं नेखमबन्दी करने हेतु भू अभिलेख निरिक्षक बीजासर को 500/- रुपये फीस पर मौका कमीशनर नियुक्त किया जाता है। भूमापक कर्ता को निर्देश दिये जाते है कि वो दोनो पक्षो के रुबरु किसी मुस्तकील/स्थाई बिन्दु को आधार मानकर पेमाईश करे व भूमापक कर्ता का यह भी निर्देश दिये जाते है कि न्यायालय से स्थगन आदेश न हो तो दोनो पक्षो के रुबरु विवादित भूमि की मौके की स्थिति व कब्जे काशत मे परिवर्तन किये बिना मुस्तकील/स्थाई बिन्दु को आधार मानकर पेमाईश करे व नेखमबन्दी कर पालना रिपोर्ट पेश करे वक्त पेमाईश हल्का पटवारी को साथ रखे। मौका कमीशनर को आवश्यकता होने पर संबंधित पुलिस थाना से पुलिस जाब्ता प्राप्त करने हेतु अधिकृत किया जाता है। तहरीर जारी हो। कमीशनर को कमीशनर फीस प्रार्थीगण मौके पर अदा करेंगे।

पत्रावली फ़ैसल सुमार होकर के बाद तामिल के दाखिल दफतर हो ।

आदेश न्याय आपके द्वार कैम्प कोर्ट बीजासर मे दिनांक 29.06.17 को सुनाया गया ।


उपखण्ड अधिकारी,
(भागीरथराम)
चौहटन
उपखण्ड अधिकारी, चौहटन

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (S.D.O.) चौहटन जिला बाडमेर

क्रमांक/भू.अ./2017/

दिनांक:-

प्रेषित : भू- अभिलेख निरीक्षक
बीजासर

प्रार्थीगण :-

1.दानाराम पुत्र दयाराम 2.चागलाराम 3.धनाराम
पि.जयमलराम 4.हनीफा पत्नि जयमलराम
जाति मेघवाल, निवासी इब्रे का तला
तहसील सेड़वा, जिला बाडमेर।

विप्रार्थीगण :-

1.कला पुत्र जलाल 2.गोधा 3.मारू 4.मंगू पि.
होता 5.भागी पत्नि होता जाति भील
6.सताराम पुत्र मेहाराम 7.तुलसी पत्नि मारू
8.बचू 9.फतु पि.मारू 10.जोरा 11.देशल 12.चेतन
पि.सतार 13.चांगू पत्नि भंवरा जाति मेघवाल
निवासी इब्रे का तला, तहसील सेड़वा।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111.128 राज.भू.राजस्व अधिनियम वास्ते करने नेखमबंदी बाबत।

राजस्व आवेदन सं. 1307/2015

दिनांक : 29-06-17

आदेश

उपरोक्त प्रकरण में आपको सरहद मौजा इब्रे का तला, पटवारी हल्का मीठे का तला, तहसील सेड़वा के खेत खसरा सं. 537 रकबा 95.14 बीघा भूमि की नेखम पेमाईश जरिये पत्थरगढी करने हेतु 500/- कमीश्नर फीस पर मौका कमीश्नर नियुक्त किया जाता है। उक्त विवादित भूमि की पेमाईश आप अपने स्तर पर टीम गठित कर दोनो पक्षो को विधि सम्मत नोटिस के जरिये सूचित कर यदि न्यायालय से स्थगन आदेश न हो तो विवादित भूमि की मौके की स्थिति व कब्जे काश्त मे परिवर्तन किये बिना पेमाईश कर नेखमबन्दी कर पालना रिपोर्ट 15 दिवस में आवश्यक पेश करे। मौका कमीश्नर को आवश्यकता होने पर संबंधित पुलिस थाना से पुलिस जाब्ता प्राप्त करने हेतु अधिकृत किया जाता है। कमीश्नर फीस प्रार्थीगण मौके पर अदा करेंगे।



क्रमांक/भू.अ./2017/1731 + 1735
प्रतिलिपि:-

- 1 तहसीलदार सेड़वा
- 2 संबंधित पटवारी को भेजकर लेख है कि निर्धारित तारीख को मय रिकोर्ड उपस्थित होकर नेखमबन्दी की कार्यवाही पूर्ण करावे।
- 3 प्रार्थीगण दानाराम वगैरा।
- 4 विप्रार्थीगण कला वगैरा
- 5 थानाधिकारी पुलिस थाना चौहटन/बीजराड़/सेड़वा/धोरीमन्ना/बाखासर

(आगीरयाराम) अधिकारी

उपखण्ड अधिकारी, चौहटन

दिनांक:- 29/06/17

(आगीरयाराम) अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी, चौहटन

ORC